[1][नियम 88ख : कर के विलंबित संदाय पर ब्याज संगणित करने की रीति

(1) यदि, जहां एक कर अवधि के दौरान किए गए प्रदाय, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित किए जाते है, और उक्त विवरणी 39 के उपबंधों के अनुसार देय तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 [2][या धारा 74क] के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में देय कर पर ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित दर पर, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तारीख के पश्चात् विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका संदाय इलैक्ट्रानिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता है।

[3][**परंतु** जहां कोई रकम धारा 49 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खातें में उक्त विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की गई हों, लेकिन नियत तारीख के पश्चात उक्त विवरणी दाखिल करते समय कर के संदाय के लिए उक्त खातें में विकलित कर दी जाती है, उक्त रकम को ऐसे ब्याज की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा यदि उक्त रकम नियत तारीख से विवरणी दाखिल करने के समय उससे विकलन की तारीख तक उक्त खातें में पडी है।]

(2) अन्य सभी मामलों में, जहां 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथा अधिसूचित दर पर, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए देय था से ऐसे कर का संदाय किए जाने की तारीख तक, कर की उस रकम पर, जो असंदत्त रहती है, की जाएगी।

(3) उस दशा में, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख से आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय पर उत्क्रमण या कर के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन यथा अधिसूचित दर पर, की जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए,–

(1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट को प्रत्यय की रकम से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण वह रकम होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है।

(2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख;–

---

1 अधिसूचना क्रमांक 14/2022–केन्द्रीय कर, दिनांक 05.07.2022 द्वारा नियम 88ख अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।

2 अधिसूचना क्रमांक 20/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 08.10.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.11.2024)।

3 अधिसूचना क्रमांक 12/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

(क) वह तारीख मानी जाएगी जिसको धारा 39 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरणी देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के संदाय के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है(या

(ख) सभी अन्य मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खातों में विकलन की वह तारीख मानी जाएगी जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लाभ उठाये गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है।**]**